संख्या-99/2020/3375/71-1-2020-जी-133/2018टी0सी0-4

प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 28 अगस्त, 2020

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में निर्मित 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान में 300 बेड के कोविड अस्पताल का संचालन किये जाने हेतु उपकरणों का क्रय किये जाने विषयक निर्गत शासनादेश दिनॉक 18.08.2020 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/कोविड-19/1098, दिनॉक 26.08.2020 एवं पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/कोविड-19/1135, दिनॉक 27.08.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान हेतु उपकरणों के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-94/2020/3251/71-1-2020-जी-133/2018 टी0सी0-4, दिनॉक 18.08.2020 द्वारा अनुमोदित उपकरणों को शासनादेश संख्या-3288/71-2-2020-698/2019 टी0सी0-1, दिनॉक 25.08.2020 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3288/71-2-2020-698/2019 टी0सी0-1, दिनॉक 25.08.2020 में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु क्रय आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-94/2020/3251/71-1-2020-जी-133/2018 टी0सी0-04, दिनांक 18.08.2020 के प्रस्तर-2 में निम्नवत् उल्लेख है:-

> ''प्रश्नगत उपकरणों के क्रय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उनके स्पेसिफिकेशन सक्षम स्तर से अनुमोदित हो। यदि डेडिकेटेड कोविड हास्पिटल के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु ऐसे किसी उपकरण की आवश्यकता है, जिसका स्पेसिफिकेशन अनुमोदित नहीं है, तो उसका स्पेसिफिकेशन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा निर्धारित कर समयान्तर्गत क्रय एवं स्थापना की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उपर्युक्तानुसार प्रदत्त अनुमति मात्र इस कोविड-19 हास्पिटल हेतु ही है।''

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान हेतु उपकरणों के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-94/2020/3251/71-1-2020-जी-133/2018 टी0सी0-4, दिनॉक 18.08.2020 द्वारा अनुमोदित उपकरणों को शासनादेश संख्या-94/2020/3251/71-1-2020-जी-133/2018टी0सी0-04, दिनांक 18.08.2020 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित व्यवस्था के आधार पर एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3288/71-2-2020-698/2019 टी0सी0-1, दिनॉक 25.08.2020 में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत क्रय किये जाने संबंधी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रस्ताव पर इस शर्त सहित श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है कि प्रश्नगत उपकरणों को शीघ्रातिशीघ्र क्रय एवं स्थापित कराते हुए नियत समय के अन्तर्गत इसका संचालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

क्र0सं0	उपकरण का नाम	अन्य संस्थानों के आपूर्ति आदेश संख्या व दिनॉक	वांछित मात्रा	मेक/मॉडल	अन्य संस्थानों के आपूर्ति आदेशानुसार प्रति नग दरें (कर सहित)	कुल योग (कर सहित)
1-	High End ICU Ventilator	(AIIMS, New Delhi) Order No. 55/SO(DO)/ICU Ventilator/2019-20/FSC Dt. 18.03.2020	30	**Make:**Draeger India Pvt. Ltd. **Model**: Savina 300	**17,00,000.00**	**5,10,00,000.00**
2-	Infusion Pumps	(AIIMS, New Delhi) Order No. 99/M&E/ JPNATC-Covid19/2020-21 Dt. 09.04.2020	200	**Make:**M/s Fresenius Kabi **Model**: AGILIA SP	**44,800.00**	**89,60,000.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3-	Multipara Monitor (Cardiac) Wall Monitor with Accessories	(KGMU, Lucknow) No. 11/P&PS/FQ/2020-21 Dt. 20-04-2020	50	**Make**: Nihon Kohden **Model**: SVM 7600 Series	**1,70,694.35**	**85,34,717.52**
4-	High Flow Nasal Canula	(UPMSCL, Lucknow) No:- 7197-EQ-UPMSCL-2020 Dt. 20.08.2020	35 HFNC, 350 Patient, circuit, 350 Nasal Canula	**Make**: Fisher & Paykel Healthcare Pvt. Ltd. **Model**: Airvo 2	**1 Unit HFNC 2,75,517-00 10No. Patient circuit- 50960-00 10No. Nasal Canula- 13238-40 Total 3,39,715-00**	**1,18,90,039.00**
					Total	8,03,84,756.52

4- उपर्युक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-94/2020/3251/71-1-2020-जी-133/2018 टी0सी0-4, दिनॉक 18.08.2020 की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:-99/2020/3375(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।